

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 228/19

1. अमरीकसिंह } पि० अजायबसिंह } जाति जटसिख निवासीयान पीरकामड़िया तहसील
 2. गुरविन्द्रसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 3. कुलविन्द्रसिंह पुत्र इकबालसिंह } वादीगण

बनाम्

1. अजायबसिंह } पि० गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील
 2. शिवराजसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 3. इकबालसिंह }
 4. ईशरसिंह पुत्र शिवराजसिंह नाबालिग जरिये माता वीरपाल कौर पत्नी शिवराजसिंह
 जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
 5. नसीब कौर पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
 जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि गुरचरणसिंह के नाम से दर्ज चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 43/33 में कुल 2.024 है० में से वादीसं० 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब०हि०ब०, वादीसं० 3 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं० 4 को 1/3 हिस्सा तथा चकनं० 25 एनजीसी के खाता सं० 20/20 में अंकित कुल 3.795 है० आराजी में से वादीसं० 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब०हि०ब०, वादीसं० 3 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं० 4 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 43/33 व चकनं० 25 एनजीसी के खाता सं. 20/20 में से गुरचरणसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....19.08.2019.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी